छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 430/06

श्री पदम कुमार जैन,
बी–501, अशोकारत्न,
विधान सभा मार्ग,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड,
शंकर नगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 06 दिसम्बर 2006)

श्री पदम कुमार जैन के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(3) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। अपीलार्थी ने अपील आवेदन–पत्र में उल्लेख किया है कि उसने दिनांक 18–05–2006 को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया कि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के उस पत्र की प्रति प्रदान की जावे, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि एम.आर.नंबर–1 की चौड़ाई 50 मीटर के मध्य से 25 मीटर छोड़कर भूखण्ड रेखा मानी जावेगी। जन सूचना अधिकारी ने दिनांक 09–06–2006 को मास्टर प्लान रायपुर विकास योजना–2011 के पृष्ठ क्रमांक–89 की छायाप्रति प्रस्तुत की। इसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया। आयोग के द्वारा दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि ग्राम पुरैना (रायपुर) में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के द्वारा प्रस्तावित योजना में उसे प्लाट नंबर–21 आबंटित किया गया था, किन्तु यह भू–खण्ड उसका आबंटन निरस्त करने के बारे में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल ने सूचित किया, जिसके संबंध में उसने नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को लिखे गये पत्र की प्रति चाही थी। किन्तु गृह निर्माण मण्डल के द्वारा मास्टर प्लान के संबंधित पृष्ठ की छायाप्रति दी। अपीलार्थी ने जानकारी समय पर न देने एवं अपूर्ण जानकारी देने के कारण जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का अनुरोध किया। प्रतिअपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि मास्टर प्लान में किये गये प्रावधान से अपीलार्थी को अवगत कराया गया था तथा बाद में पत्र दिनांक 27–07–2006 के द्वारा उन्हें नगर तथा ग्राम निवेश

विभाग से हुए पत्राचार की प्रतिलिपि भी दी गई। दिनांक 14–9–2006 के अनुसार उक्त जानकारी अपीलार्थी को पुनः संबंधित पत्राचार की छायाप्रतियाँ भेजी गई। अतः अपीलार्थी को सभी जानकारी उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपीलार्थी ने बतलाया कि जानकारी 27–07–2006 के पत्र द्वारा दी गई है, जो कि निर्धारित अवधि के पश्चात् है।

3/ प्रकरण से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी मुख्य रूप से संबंधित योजना में पूर्व में स्वीकृत प्लॉटों की संख्या कम होने की स्थिति जानना चाहता है तथा अपीलार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। यह अवश्य है कि उन्हें निर्धारित अवधि में पूर्ण जानकारी नहीं दी गई। प्रतिअपीलार्थी का तर्क यह है कि उनके द्वारा जानबूझकर अथवा दुर्भावनावश जानकारी दिये जाने से इंकार नहीं किया गया और न ही त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गई। नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय के साथ छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से हुए संबंधित भू–अभिन्यास के समस्त पत्राचार की जानकारी अपीलार्थी को दे दी गई है। अपीलार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पूर्व में पूर्ण जानकारी दुर्भावनावश दी गई है। अतः प्रतिअपीलार्थी पर अर्थदण्ड किये जाने का आधार नहीं है। अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। फिर भी यदि नगर निवेश विभाग के पूर्व पत्र के संबंध में तथा किये गये स्थल निरीक्षण के संबंध में बहस के दौरान दिये गये आश्वासन अनुसार कोई और स्पष्ट जानकारी आवश्यक हो तो वह 15 दिन में निःशुल्क प्रदान की जाने के निर्देश के साथ उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

हस्ता0/– 06–12–2006
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त